



भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines

पंजीकृत पावती  
उल्लंघन पत्र  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र,  
Makhupura Industrial Area  
अजमेर.-305 002 (राजस्थान)  
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)  
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

Mine Code: 38RAJ09002

दिनांक : 13.12.2022

संख्या : RAJ/CHT/LST-5 Vol.-III

प्रेषित : एमेट, कारुन्दा चूना पत्थर खान,  
मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स,  
(जेके सीमेंट लिमिटेड की इकाई),  
कैलाश नगर- 312617, निम्बाहेरा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)  
ईमेल- manish.toshniwal@jkcement.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Karunda Limestone Mine** (M.L. No. 3/2003, Lease area 240.86 Hect.) in Chittaurgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 25.11.2022 by the undersigned in presence of Sh. Peeyush Kumar Ameta, Mine Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 28.11.2018): - (i) During the year 2021-22, total 130m retaining wall was proposed at the bottom of the waste dump but no such retaining wall was made during the year.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय  
वशिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो  
( डी. आर. गुजर )  
13/12/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई-मेल द्वारा)।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वशिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो